न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
187/21	1.12.21	4.1.22

डनवान

1. प्रेमसिंह पुत्र श्री बलवान सिंह जाति जाट निवासी ग्राम छतरपुर तहसील किशनगढबाास जिला अलवर राज0

:–वादी:–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब (भूमिधारी) पैरोकार सरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:– प्रतिवादी:–

दावा अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.12

उपस्थिति:– 1. वकील वादी की ओर से श्री धीरसिंह चौधरी
2.प्रतिवादी की ओर से पैरोकार जवाब

निर्णय 4.1.22

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी ख0न0 77 रकबा 0.13 बिस्वा वाके ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास चाही आलिफ गागूमल पुत्र आसूमल कौम सिंधी खत्री निवासी किशनगढबास को आवंटित हुई थी। जिसका गैरखातेदारी का इंतकाल सं0 53 रकबा 29.11.75 गांगूमल पुत्र आसूमल के नाम विधिवत दर्ज वो स्वीकार हुआ। गांगूमल की मृत्यू के उपरांत उसके वारिसान के हक में विरासत इंतकाल 773 दिनांक 5.12.06 को बहक अशोककुमार पुत्र, कौशल्या बाई, चन्द्रोबाई, देवीबाई, लाजवंती पुत्रीयान गांगूमल कौम खत्री के नाम दर्ज वो स्वीकार हुआ। आलोटी के विधिक वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज वो स्वीकार हो गया। अलौटी के विधिक वारिसान ने अपनी स्वेच्छा से अपने समस्त अधिकार गैरखातेदारी का बेचान वादी को दिनांक 25.12.2014 को प्रतिफल राशि प्राप्त करते हुए इकरारनामा बाकब्जा तहरीर करा दिया एवं वास्तविक कब्जा वादी को सौप दिया इस प्रकार विवादित आराजीपर वादी तथा उसके परिजन गत 33–34 साल से लगातार काश्त करते चले आ रहे है। तथा मौके पर आज भी वादी का ही कब्जा है। इकरारनामा दिनांक 25.12.2014 वादपत्र है।

ऐसी सूरत मे वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.12 के अवैध हस्तातंरण प्रकरण के आधार पर नियमानुसार राशि जमा कराकर हकूक खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है अतःदावा इश्तकराहक दायर करना लाजिम आया है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि वाद तहकीकात वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावें:–

अ–यह है कि डिकी इश्तकराहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावें कि वादी हाल आराजी ख0न0 77 रकबा 0–13 बिस्वा वाके ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास का जरिये इकरारनामा बैय दिनांक 5.12.2014 व उससे पूर्व से काबिज काश्त खरीददारी मौका पर काबिज वो दखील है। जो काबिल, काश्त रकबा है । ऐसी सूरत मे वादी आराजी मुतनाजा पर कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6.9.2009के संशोधित नोटिफीकेशन 30.3.2012 के नियम 5(क) के अनुसार अवैध हस्तान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमाकोष कराकर सनद खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इस प्रकार की घोषणा वादी कराने का अधिकारी है।

ब– यह है कि मौजूदा जमाबंदीयात में जो आराजी मुतनाजा पर गैरखातेदारी अलोटील व उसके वारिसान का अंकन दर्ज रिकार्ड किया हुआ है। जो खिलाफ कानून खिलाफ मौका व रिकार्ड एवं हकूक वादी के विरूद्व नल एण्ड वाईड है काबिल दुरूस्ती है। जिसे रकबा 0–13 बिस्वा को हजफ कर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर खातेदारी दर्ज करायी जावे।

स– खर्चा मुकदमा का वादी को दिलाया जावे। दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे । अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा प्रतिवादी का जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार जवाब दावा पेश कर निर्णय न्यायालय श्रीमान किये जाने निवेदन कियाहै। तथा मौके एवं रिकार्ड बाबत तहसीलदार किशनगढबास से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई वादी ने स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू–1, कृष्णकुमार पुत्र रामप्रसाद पीडब्लू–2 पेश किये । दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदश–1 इंतकाल दिनांक 29.11.75, प्रदर्श–2 जमाबंदी 2038, प्रदर्श– 3 जमांबदी 2043, प्रदर्श–4 इंतकाल सं0 773 दिनांक 2.12.2006 , प्रदर्श–5 जमाबंदी हाल, प्रदर्श–6 इकरारनाम की छाया प्रति पेश की है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई वकील वादीगण ने बहस में वाद में अंकित तथ्यो का दाहराते हुए वाद वादीगण को डिकी किये जाने की इश्तदुआ । हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया प्रदर्श–1 इंतकाल नं0 53 दिनांक 29.11.75 के द्वारा विक्रेताओ के पिता गांगूमल को अलोटी गैरखातेदार का इंतकाल दर्ज वो स्वीकार हुआ। प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2038 में गांगूमल पुत्र आसूमल कोम खत्री गैरखातेदार दर्ज है प्रदर्श–3 जमाबदी 2043 में भी गांगूमल गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–4 में इंतकाल सं0 773 दिनांक 2.12.2006 में गांगूमल के वारिसान का अंकन आया है। प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत 2073–76 में अंकित काश्तकारान द्वारा वादी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

को आराजी ख0न0 77 रकबा 0–13 बिस्वा को जरिये इकारानामा दिनांक 25.12.2014 के द्वारा वादी को बेचान कर दिया जिससे साबित होता है कि आराजी जरिये इकरारनामा वादी द्वारा खरीद की हुई है। तथा तहसीलदार किशनगढबास के पत्र कमांक/भू0अ0/2021/3411 दिनांक 17.11.21 के अनुसार आरजी उक्त पर 77 रकबा 0–13 पर प्रेमसिंह पुत्र बलवानसिह सा0 छतरपुर तह0 किशनगढबास का कब्जा काश्त है। मौके पर फसल वादी द्वारा बोई हुई है। इसलिए वादी का कब्जा काश्त बाखूबी साबित होता है। इस लिए हम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.12 के नियम 5(क) के तहत नियमितिकरण शुल्का एंव शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है। वो वादी काबिले डिकी करार पाता है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादी को आराजी ख0 न0 77 रकबा 0–13 बिस्वा का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है बैयशर्त वादी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.4.18 के द्वारा प्रमाणित डीएलसी का 10 प्रतिशत नियमितिकरण एवं शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी दिये जाने के आदेश दिये जाते है। राशि जर्ये चालान जमा कोष होने पर सनद खातेदारी जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा वादी स्वय वहन करेगा । पत्रावली बाद तकमील लेख भण्डार रहे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं. 187/21 | प्रवेश तिथि 1.12.21 | निर्णय तिथि 4.1.22

उनवान

1. प्रेमसिंह पुत्र श्री बलवान सिंह जाति जाट निवासी ग्राम छतरपुर तहसील किशनगढबाास जिला अलवर राज0

:–वादी:–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब (भूमिधारी) पैरोकार सरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:– प्रतिवादी:–

दावा अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.12

उपस्थितिः– 1. वकील वादी की ओर से श्री धीरसिंह चौधरी
2.प्रतिवादी की ओर से पैरोकार जवाब

पर्चा डिक्री 4.1.22

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी ख0 न0 77 रकबा 0–13 बिस्वा का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है बैयशर्त वादी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.4.18 के द्वारा प्रमाणित डीएलसी का 10 प्रतिशत नियमितिकरण एवं शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी दिये जाने के आदेश दिये जाते है। राशि जर्ये चालान जमा कोष होने पर सनद खातेदारी जारी हो। खर्चा वादी स्वय वहन करेगा । पत्रावली बाद तकमील लेख भण्डार रहे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

देखिये नियम 15(3))

सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तों एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन / नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जयें वाद प्रेमसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 04.01.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	प्रेमसिंह पुत्र बलवान सिंह जाति जाट निवासी छतरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा नम्बर 77 / 0.16 है वाके ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई । मय राशि जमा होने का चालन नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 57335720 से राशि 31442 रू.(इकतीस हजार चार सौ बयालिस रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 57335499 से राशि 1300 रू.(एक हजार तीन सौ रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा के समस्त गैर खातेदारान के समस्त हिस्से पर जारी की गई।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दिनांक :– 10/01/22

कमाक / सम / 2021 / 1483-86

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी प्रेमसिंह पुत्र बलवान सिंह जाति जाट निवासी छतरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दो प्रती प्रत्त कि

देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जर्ये वाद प्रेमसिह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 04.01.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	प्रेमसिह पुत्र बलवान सिह जाति जाट निवासी छतरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा नम्बर 77/0..16 हे. वाके ग्राम झिरण्डिया तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई । मय राशि जमा होने का चालन नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 57335720 से राशि 31442 रू.(इकत्तीस हजार चार सौ बयालिस रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 57335499 से राशि 1300 रू.(एक हजार तीन सौ रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा के समस्त गैर खातेदारान के समस्त हिस्से पर जारी की गई।

sd-
(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कमाक/सम/2021/1483-86 दिनांक :– 10/01/22

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी प्रेमसिह पुत्र बलवान सिह जाति जाट निवासी छतरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)